



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 12.05.2026

थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर एटीएम कैश वैन डकैती के वांछित 01-01 लाख के ईनामी अपराधी जुबैर अहमद पुत्र हाजी तौशीन निवासी सेक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद व समीर पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी सेक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद पुलिस मुठभेड में ढेर ।

- दिनांक 06.05.2026 को एनएच-9 पर स्थित एच0पी0 पेट्रोल पम्प के सामने से अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर कैशवैन को कैश सहित लूट लेने की घटना कारित की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर मु0अ0स0 94/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान कुल 27 लाख रुपये कैशवैन में लूट के दौरान होना पाया गया है।
- दिनांक 11.05.2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा व थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र सलीम निवासी डी-134, सेक्टर-11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर गाजियाबाद व मौहम्मद रिजवान पुत्र मौहम्मद आंसू निवासी सी-25, वार्ड नं0 8, माता कालोनी, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी धनराशि में से 08 लाख 06 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त बलेनो कार व तमंचा व कारतूस एवं एक कुल्हाड़ी बरामद की गयी थी।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेंट गाजियाबाद द्वारा उक्त घटना में वांछित अन्य अभियुक्तगण पर 01 लाख रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है ।

घटना क्रम (दिनांक 12.05.2026)

आज दिनांक 12.05.2026 को स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण आज वेवसिटी थाना क्षेत्र में सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार में देखे गये हैं। इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके कन्ट्रोल रूम के माध्यम से वेवसिटी व आस-पास के थाना क्षेत्रों में स्विफ्ट कार की चैकिंग प्रारम्भ करायी गयी तथा स्वाट टीम व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा डासना रोड़ पर नाले के आस-पास घेराबन्दी की गयी। समय करीब: 9.45 PM बजे नायफल रोड़ से एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। टॉर्च व गाडी की रोशनी में चेतावनी देते हुए स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया गया परन्तु कार सवार बदमाशों द्वारा गाडी को रोकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर करते हुए नाले के किनारे पटरी मार्ग पर गाडी बढ़ा दियो। उक्त स्विफ्ट कार का पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। थोड़ा आगे जाने पर उक्त कार अनियन्त्रित होकर खेत में उतर गयी। इसके बाद बदमाशों द्वारा गाडी से उतरकर पुलिस टीम पर सीधे फायर किये गये। उक्त फायरिंग में स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत व थाना प्रभारी वेव सिटी मानवेन्द्र सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी तथा अन्य तीन पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गये। अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर गये। इनके गिरते ही अन्य बदमाश वहां से फरार हो गये जिनकी कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश के पास जाकर देखने पर बरामद आधार कार्ड से बदमाशों की पहचान जुबैर अहमद पुत्र हाजी तौशीन निवासी एच नं-ई-14, विभाग-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद व समीर खान पुत्र मो0 सलीम निवासी जी-120, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद हुईए जिसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया, जहाँ उपचार के दौरान घायल दोनों बदमाशों की मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरण:-

1. 09 लाख 10150 रूपये नगदा
2. 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बरा
3. 02 अदद पिस्टल .32 बोरा
4. 02 अदद तमंचा .315 बोरा
5. 12 अदद खोखा कारतूस .32 बोरा
6. 05 अदद खोखा कारतूस .315 बोरा
7. 05 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोरा
8. 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरा
9. 03 अदद बैग, जिसमें अभियुक्तगण के कपड़ें, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि सामाना
10. सी0सी0टी0वी0 का डी0वी0आर0

घायल पुलिसकर्मी –

1. उ0नि0 आशीष कुमार सिंह,
2. मुख्य आरक्षी संदीप कुमार,
3. मुख्य आरक्षी तरुण कुमार

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम-

1. स्वाट टीम अपराध शाखा
2. श्री कुलदीप दीक्षित, प्रभारी निरीक्षक सिहानीगेट मय टीम
3. उपनिरीक्षक मानवेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी वेवसिटी मय टीम

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

यूपी-112 परियोजना के अन्तर्गत 19 नये पीआरवी वाहनों (03 चार पहिया पीआरवी (स्कार्पियो) एवं 16 दो पहिया पीआरवी (पल्सर मोटर साइकिल) को कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमान पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण में कमिश्नरेट गाजियाबाद को 03 चार पहिया पीआरवी वाहन (स्कार्पियो) एवं 16 दो पहिया पीआरवी (पल्सर मोटर साइकिल) आवंटित की गयी है जिससे कॉलर/पीडित को आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया समय में मदद मिलेगी और रेस्पॉन्स टाइम में भी सुधार आयेगा। इसके अतिरिक्त 19 नये चार पहिया/दो पहिया पीआरवी वाहन के यूपी-112 कमिश्नरेट गाजियाबाद में शामिल होने से हमारी आपातकालीन सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी।

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा दिनांक 12.05.2026 को समय 10:00 बजे पुलिस लाइन, कमिश्नरेट गाजियाबाद से निम्नलिखित थाना क्षेत्रों में 03 चार पहिया पीआरवी वाहन (स्कार्पियो) एवं 16 दो पहिया (पल्सर मोटर साइकिल) पीआरवी (पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल) वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर संचालित किया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल/नोडल अधिकारी यूपी-112, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात/यूपी 112, प्रभारी यूपी-112, उप निरीक्षक परिवहन शाखा- यूपी-112 एवं कार्यालय यूपी-112 के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे।

क्र.सं.	नये पीआरवी वाहन	वाहन का प्रकार	वाहन मेक	पुराने वाहन	थाना
1	UP32 DG 9270	4W	स्कार्पियो	UP32 DG 2167	लिकरोड
2	UP32 DG 9271	4W	स्कार्पियो	UP32 DG 2189	मोदीनगर

3	UP32 DG 9272	4W	स्कार्पियो	UP32 DG2626	निवाडी
4	UP32 DG 9632	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4767	सिहानीगेट
5	UP32 DG 9633	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4763	कविनगर
6	UP32 DG 9634	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4762	मधुवन बापूधाम
7	UP32 DG 9635	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4768	इन्दिरापुरम
8	UP32 DG 9636	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4774	खोडा
9	UP32 DG 9637	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4775	खोडा
10	UP32 DG 9638	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4772	कौशाम्बी
11	UP32 DG 9639	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4799	लिक रोड
12	UP32 DG 9640	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4788	ट्रोनिका सिटी
13	UP32 DG 9641	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4785	लोनी बॉर्डर
14	UP32 DG 9642	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4787	लोनी बॉर्डर
15	UP32 DG 9643	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4796	मसूरी
16	UP32 DG 9644	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4797	मसूरी
17	UP32 DG 9645	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4791	मुरादनगर
18	UP32 DG 9646	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4793	मोदीनगर
19	UP32 DG 9647	2W	पल्सर मो0सा0	UP32 DG 4792	मोदीनगर

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 02 बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया ।

दिनांक 11.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई कि 02 बालक (उम्र 12 वर्ष व 13 वर्ष) निवासीगण गुलमोहर सोसायटी थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद दोपहर 14.00 बजे खेलते समय घर से गुम हो गये है । परिजनों द्वारा घर के आस – पास / सम्भावित स्थान पर तलाश करने पर नहीं मिल रहे है । जिसके बाद परिजनों द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को सूचना दी गई । इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए गुमशुदा 12 वर्ष व 13 वर्ष के लडकों की तलाश हेतु सर्च अभियान चलाया गया और 12 घंटे के अन्दर गुमशुदा 12 वर्ष व 13 वर्ष के लडकों को सर्विलांस की मदद से जनपद शामली से तलाश कर उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया । जिस पर परिवारीजन व मौहल्लावासियों द्वारा पुलिस की प्रशंसा करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया ।

पूछताछ करने पर बच्चों द्वारा बताया गया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। हम दोनों घर पर बिना बताए घूमने फिरने के बहाने बस से शामली चले गये थे तथा शामली से ट्रेन में बैठकर सहारनपुर जाने वाले थे।

बरामद करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.05.2026 को वादी श्री पुनीत रंजन द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 07.05.2026 को किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी स्कूटी घर के बाहर से चोरी कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.5.2026 को मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.दिलशाद उर्फ हड्डा पुत्र मौ0 सुभान निवासी ए 118 गली नं0 5 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद कमिश्नेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. रिहान उर्फ बच्चा पुत्र परवेज निवासी जवाहर पार्क की गली नं0 3 के सामने वाली झुग्गी झोपड़ी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को नाले के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब हम दोनों लोग नशे के आदी हैं व नशे के लिए चोरी करते हैं। यह स्कूटी हम दोनों ने 3-4 दिन पहले शालीमार गार्डन एक्स 1 से चोरी की थी। जिसे हम दोनों ने पुरानी सीमापुरी की झुग्गी में छिपा दिया था। इस स्कूटी को बेचकर हम दोनों पैसों को बराबर बराबर बांट लेते व नशा करने में खर्च कर लेते। आज हम दोनों इस स्कूटी को लेकर बेचने के लिए जा रहे थे कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. दिलशाद उर्फ हड्डा पुत्र मौ0 सुभान निवासी ए 118 गली नं0 5 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद कमिश्नेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. रिहान उर्फ बच्चा पुत्र परवेज निवासी जवाहर पार्क की गली नं0 3 के सामने वाली झुग्गी झोपड़ी पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की एक स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घर मे घुसकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पीली धातु की छड़ (वजन करीब 86 ग्राम) बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 31.03.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी उमेशकान्त उपाध्याय द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया गया कि दिनांक 30.3.2026 की रात्रि को अपने घर से बाहर गये हुये थे जब हम लोग घर पर वापस आये तो हमे पता चला कि हमारे घर पर चोरी हो गयी है घर मे रखे हुये कीमती आभूषण व नगद रुपये चोरी हो गये है । प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 12.05.2026 को साहिबाबाद पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त रेहान पुत्र इरफान नि0 गली न0 26 मुस्तफाबाद, वाटिका पुलिस चौकी के पास थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष 2.मो0 सुहैल पुत्र मो0 तौहीद निवासी गली न0 9 कैंची वालो की दुकान के सामने फर्स्ट फ्लोर इमरान के मकान मे किरायेदार मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली मूल निवासी धौलाना बस अड्डा के पास गुलावटी थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष को लोहिया पार्क के गेट न0 4 के पास से करीब 86 ग्राम पीली धातु की छड़ सहित गिरफ्तार किया गया है । बरामदगी के आधार पर धारा 317(2),331(4),3(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग रात्रि मे बन्द मकान की तलाश करते है जब हम लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि मकान मे कोई मौजूद नही है तब हम बन्द मकान मे चोरी करते है करीब सवा महीने पहले हमारे द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर वृन्दावन गार्डन में एक बन्द मकान मे चोरी की थी । जहां से हमने जेबर और कैश चुराया था । चुराये हुए रुपये को हमने आपस में बांट कर मौज मस्ती मे खर्च कर दिया था, बचे हुये जेबरो को हमने गला कर आपस में बांट लिया था । मामला पुराना होने पर गली हुयी सोने की छड़ को बेचने की फिराक में थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों नाम पता :-

1. रेहान पुत्र इरफान नि0 गली न0 26 मुस्तफाबाद, वाटिका पुलिस चौकी के पास थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष ।
2. मो0 सुहैल पुत्र मो0 तौहीद निवासी गली न0 9 कैंची वालो की दुकान के सामने फर्स्ट फ्लोर इमरान के मकान मे किरायेदार मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली मूल निवासी धौलाना बस अड्डा के पास गुलावटी थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 पीली धातु की छड़ (वजन करीब 86 ग्राम) बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- स्वाट टीम ट्रांसहिंडन जोन कमि0 गाजियाबाद ।
- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद ।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैट्री एवं वाहन आदि की चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को चोरी की 01 मोटर साईकिल, 3860/- रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त आटो सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 11.05.2026 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सिहानीगेट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैट्री एवं वाहन आदि चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त सीटू को चोरी की 01 मोटर साईकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 0124/26 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस व 3860 रुपये नकद सम्बन्धित मु0अ0सं0 0183/26 धारा 305,317(2),317(4) बीएनएस व घटना में प्रयुक्त आटो सहित पीता फार्म के पास भाटिया रोड से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया साहब मैं गाँजा/स्मैक का नशा करता हूँ कुछ लडके मुझे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर गाँजा पीते हुए मिल गये थे जहाँ उनके साथ अचानक चोरी की घटना करने के लिये मेरी उनसे बात हुई थी मुझे उनमें से किसी ने अपना नाम पता नहीं बताया था यह जो मेरी पैंट की जेब से 3860 रुपये आपको मिले है यह मैंने और मेरे उन अज्ञात साथियों ने दिनांक 06.05.2026 की रात को करीब 03-04 बजे इसी टैम्पो से जाकर नेहरुनगर राकेश मार्ग गाजियाबाद के एक ऑफिस से कुछ कम्प्यूटर सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, बैट्री आदि तथा करीब 13,000 रुपये नकद चोरी किये थे वह सभी चोरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने व मेरे साथियों ने राह चलते हुए लोगों को सस्ते दामों पर बेच दिया और बेचकर आये पैसों तथा चोरी किये 13,000 रुपयों को हमने आपस में बाँट लिया था यह जो 3860 रुपये आपको मिले है यह उसी चोरी के रुपयो मे से बचे हुए रुपये है ।यह तीन पहिया टैम्पो मेरे एक मिलने वाले साथी का है । मैं इसी टैम्पो तथा किराये पर टैम्पो लेकर चोरी की घटना करने के लिए पहले दिन में घूम

फिरकर रैकी करता हूँ इन्ही अलग-अलग टैम्पूओं में बैठकर रात में घर व दुकानों के बाहर खड़े मोटरसाईकिल आदि वाहन तथा वाहनों की बैट्री एवं अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा नकदी की चोरी कर ले जाता हूँ, चोरी किए गये सामान तथा दो पहिया वाहनों को छिपाकर रख लेता हूँ तथा बाद में चोरी किये सामान व वाहनों को राह चलते व्यक्तियों का उचित दामों पर बेच देता हूँ। इसी तरह मैंने अपने अब से करीब डेढ़-दो महीने पहले रात में वाल्मीकि कुंज पटेलनगर गाजियाबाद के एक घर के बाहर से खड़ी एक मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना को चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. सीटू पुत्र रमेश निवासी कृष्णा मेडिकल के सामने वाली गली आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:

1. एक प्लेटिना मोटर साईकिल नं० UP14 DK 7170 सम्बन्धित मु०अ०सं० 0124/26 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस
2. 3860 रुपए नकद सम्बन्धित मु०अ०सं० 0183/26 धारा 305,317(2),317(4) बीएनएस
3. घटना में प्रयुक्त आटो UP14QT 9556

आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त सीटू उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सिहानीगेट पर चोरी के 02 व आर्म्स एक्ट 02 व चोरी की योजना का 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस